न्यूज़ टुडे

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई

ILO के अनुसार, **भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान** पर आ गया है। ILO के ILOSTAT डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज **2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% (94 करोड़ से अधिक)** हो गया है। इसमें पिछले एक दशक में **45% की अभूतपूर्व वृद्धि** हुई है।

सामाजिक सुरक्षा/ संरक्षण क्या है?

- **परिभाषा:** सामाजिक सुरक्षा (Social security) वह संरक्षण है, जिसे कोई समाज व्यक्तियों एवं परिवारों को **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय संबंधी सुरक्षा की गारंटी** देने के लिए प्रदान करता है। इसे विशेष रूप से **वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, कार्यस्थल पर चोट लगने या मातृत्व** के मामलों में प्रदान किया जाता है।
  - सामाजिक सुरक्षा के **तीन स्तंभ हैं (सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार कार्यक्रम)**, जो आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता में मदद करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें

- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) (वृद्धावस्था संरक्षण) (18-40 वर्ष):** लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान।
- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) (18 से 50 वर्ष):** किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- **अटल पेंशन योजना: (18-40 वर्ष):** 1000-5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- **अन्य:** प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (18 से 70 वर्ष), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण, आदि।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के 9 साल पूरे हुए

PMUY एक **महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना** है, जो **ग्रामीण और वंचित परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG)** कनेक्शन प्रदान करके उन्हें **खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन** उपलब्ध कराती है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में

- **आरंभ वर्ष:** 2016 में शुरू की गई थी।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण और वंचित परिवारों, जो खाना पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें LPG जैसा स्वच्छ ईंधन प्रदान करना।
- **मूल लक्ष्य:** इस योजना के तहत **2020 तक** वंचित परिवारों को **8 करोड़** LPG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
  - **उज्ज्वला 2.0: प्रवासी परिवारों** को विशेष सुविधा के साथ **PMUY योजना** के तहत **दिसंबर 2022 तक 1.6 करोड़** LPG कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।
- **पात्रता संबंधी मानदंड**
  - आवेदक (केवल महिला) की आयु **18 वर्ष** होनी चाहिए।
  - **अग्रलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवारों या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध परिवार।
- **उपलब्धियां**
  - **मार्च 2025 तक,** पूरे भारत में **10.33 करोड़ PMUY** कनेक्शन हैं।
  - **LPG वितरकों** की कुल संख्या 2014 में 13,896 थी, जो 2024 में बढ़कर 25,481 हो गई है। यह **83%** की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

भारत ने मुख्य कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) 20% से घटाकर 10% किया

कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर मूल सीमा शुल्क में कटौती निम्नलिखित वजहों से की गई है:

- देश में **खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को कम** करने के लिए, और
- देश में कच्चे तेल के **रिफाइनिंग सेक्टर को मजबूत और उसका कायाकल्प** करने के लिए।

भारत में खाद्य तेल

- **परिचय:** खाद्य तेल **मुख्य रूप से वनस्पति तेल** होते हैं। कच्चे वनस्पति तेल में से अनावश्यक तत्वों को हटाने के लिए उन्हें कई प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है।
  - खाद्य तेलों को **मनुष्यों के उपभोग लायक बनाने के लिए, उन्हें रिफाइनिंग प्रक्रियाओं** से गुजारा जाता है। इन प्रक्रियाओं में **न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग और गंधहीन करना (deodorization)** शामिल हैं।
    - कच्चे खाद्य तेल के **न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ है फ्री फैटी एसिड को हटाना।**
- **भारत में 9 प्रमुख खाद्य तेल फसलें:** मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम (Safflower), नाइजरसीड (रामतिल), अरंडी और अलसी।
- **खाद्य तेल की स्थिति:**
  - वैश्विक **तिलहन उत्पादन क्षेत्र का लगभग 15-20% क्षेत्र भारत** में है।
  - **वैश्विक वनस्पति तेल उत्पादन में भारत की 6-7% हिस्सेदारी** है।
  - **वैश्विक खाद्य तेल की 9-10% खपत भारत** में होती है।
  - भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत वनस्पति तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक** देश है।
    - भारत में आयातित सभी खाद्य तेलों में **पाम ऑयल का हिस्सा लगभग 57%** है। इसके बाद **सोयाबीन तेल (29%) और सूरजमुखी (14%)** का स्थान है।
  - देश में **कुल तिलहन उत्पादन में 92% योगदान 9 प्रमुख तिलहनी फसलों** का है। इनमें **सोयाबीन (34%), रेपसीड और सरसों (31%) तथा मूंगफली (27%)** का सबसे अधिक उत्पादन होता है।

भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP):** इसे 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता** प्राप्त करना है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन और ऑयल पाम (NFSM-OS&OP):** यह मिशन 2018-19 में शुरू किया गया था। **इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - 9 प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, तथा
  - ऑयल पाम और **वृक्ष-से प्राप्त तिलहनों (Tree Borne Oilseeds)** के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना।

ICG ने केरल तट पर जलते हुए कार्गो जहाज को नियंत्रित करने के लिए अभियान तेज किया

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) **केरल के पास समुद्र में आगजनी की दुर्घटना से ग्रस्त जहाज के चालक दल को बचाने और जहाज को खींचने (टो करने) के लिए राहत अभियान** चला रहा है। यह जहाज भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में आ गया था।

- इससे पहले भी, पिछले महीने एक कंटेनर जहाज केरल तट के पास डूब गया था। इससे खतरनाक रसायन का तट के करीब रिसाव हो गया था। इस वजह से समुद्री आपदाओं व सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

समुद्री नौवहन से जुड़ी आपदाओं के जोखिम

- **समुद्र और उसके खतरे:** कुछ खतरे **पूर्वानुमानित** होते हैं (जैसे तूफान, बर्फबारी आदि) तथा कुछ **अप्रत्याशित** (जैसे सुनामी, कोई पनडुब्बी या डूबा हुआ मलबा, समुद्री माइंस आदि) हो सकते हैं।
  - **जलडमरूमध्य और समुद्री चैनल्स (जैसे पनामा, स्वेज नहर) में खतरे** अधिक होते हैं क्योंकि उथले जल में कई जहाजों का मलबा होता है।
- **जहाज की स्थिति:** पुराने और तकनीकी रूप से पिछड़े जहाजों तथा अधिक भार वाले फेरी जहाजों की संख्या बढ़ने से जोखिम बढ़ता है।
- **नए जोखिम:** खतरनाक रासायनिक उत्पादों, खतरे वाले उत्पादों, परमाणु अपशिष्ट, विस्फोटक सामग्री, पनडुब्बियों और हथियारों का परिवहन।
- **अन्य कारक:** मानवीय त्रुटि, युद्ध, समुद्री डकैती, आतंकवाद, आदि।

परिणाम

- **पर्यावरण:** समुद्री प्रदूषण (तेल रिसाव), जैव विविधता की हानि, जहाजों के बैलास्ट जल का संदूषण आदि।
- **स्वास्थ्य:** रसायनों या तेल के संपर्क में आने पर सफाई कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
- **आर्थिक नुकसान और सुरक्षा:**
  - समुद्री तटों को नुकसान पहुंचता है,
  - समुद्र तटों की सफाई पर व्यय बढ़ जाता है,
  - तटीय आजीविका का नुकसान होता है,
  - पर्यटन क्षेत्रक पर बुरा असर पड़ता है आदि।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस

- **बंकर कन्वेंशन, 2001:** इस कन्वेंशन के तहत **जहाज के मालिकों को बंकर तेल से हुए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी** ठहराया जाता है। यह पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और अनिवार्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करता है।
- **रेक रिमूवल कन्वेंशन, 2007:** इस कन्वेंशन के तहत पक्षकारों को यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि वे **समुद्र में डूबे ऐसे जहाजों के मलबे को हटा सकते हैं, जो नौवहन सुरक्षा के समक्ष खतरा** पैदा करते हैं।
- **HNS कन्वेंशन, 1996:** इसका उद्देश्य नुकसान, सफाई की लागत तथा पुनर्स्थापन उपायों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना है।
- **मार्पोल (MARPOL) कन्वेंशन (1973):** यह **समुद्री जहाजों से होने वाले प्रदूषण, विशेष रूप से तेल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित** करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है।

नोट: उपर्युक्त कन्वेंशंस में से, भारत केवल मार्पोल कन्वेंशन का पक्षकार है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एंटी-रैगिंग विनियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया

हाल ही में, UGC ने उन **कई उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) को नोटिस** जारी किया है, जो **एंटी-रैगिंग पर यूजीसी विनियम, 2009** का पालन करने में विफल रहे हैं। इन संस्थानों को **30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश** दिया गया है।

- रैगिंग वास्तव में **मौखिक या लिखित रूप में या किसी क्रियाकलाप के माध्यम** से किया गया ऐसा कोई भी **दुराचार** है, जिसका उद्देश्य **किसी फ्रेशर या जूनियर विद्यार्थी को तंग करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना या उसे अपमानित** करना है।

यूजीसी एंटी-रैगिंग विनियम, 2009 के मुख्य प्रावधान

- **दाखिले से पहले:** संस्थानों को **प्रवेश से संबंधित सभी डाक्यूमेंट्स में एंटी-रैगिंग चेतावनी** शामिल करनी होगी। साथ ही, उन्हें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से **हस्ताक्षरित शपथ-पत्र** भी लेना होगा।
- **दाखिले के समय:** फ्रेशर विद्यार्थियों को उनके अधिकारों का उल्लेख करने वाला व्यापक विवरणी यानी लीफलेट प्रदान करना होगा। साथ ही, इन विद्यार्थियों को सीनियर्स के साथ संयुक्त जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।
- **समितियों की स्थापना और उनके कार्य:** तीन प्रमुख संस्थाओं की अनिवार्य रूप से स्थापना करनी होगी। ये हैं- **एंटी-रैगिंग कमेटी, एंटी-रैगिंग स्क्वाड और रैगिंग निगरानी सेल।**
- **नियमों के उल्लंघन पर दंड:** रैगिंग में शामिल विद्यार्थियों का **संस्थान से निलंबन, निष्कासन या जुर्माना लगाना** जैसे दंड शामिल किए गए हैं।

भारत में एंटी-रैगिंग से संबंधित अन्य उपाय

- **एंटी-रैगिंग निगरानी समिति:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति का उद्देश्य **उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग** को रोकना है।
- **राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन:** इस हेल्पलाइन के माध्यम से रैगिंग से संबंधित प्रश्नों, शिकायत पंजीकरण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **राघवन समिति (2007):** इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
  - रैगिंग को **दंडात्मक अपराध** बनाया जाए,
  - रैगिंग को रोकने की **सामूहिक जिम्मेदारी फैकल्टी और कर्मचारियों** पर डालनी चाहिए, तथा
  - रैगिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए **एंटी-रैगिंग संस्था** होनी चाहिए।
- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (2009):**
  - टोल-फ्री एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन/ कॉल सेंटर स्थापित करना चाहिए,
  - रैगिंग को रोकने के लिए निगरानी एजेंसी के रूप में एक **स्वतंत्र गैर-सरकारी एजेंसी की सेवा** लेनी चाहिए, आदि।

FAO ने 'विश्व समुद्री मत्स्य संसाधन की स्थिति की समीक्षा, 2025' रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में गहरे समुद्र की प्रजातियों के सामने आने वाली विशेष **संधारणीयता संबंधी चुनौतियों** का उल्लेख किया गया है। इन प्रजातियों की देर से परिपक्वता, धीमी वृद्धि, लंबा जीवनकाल, कम मृत्यु दर और अनियमित प्रजनन के कारण उन्हें कई विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- रिपोर्ट में **अति मत्स्यन के साथ-साथ अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मत्स्यन** को भी प्रमुख चिंताओं के रूप में उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **गहरे समुद्र की केवल 29% मत्स्य प्रजातियां ही संधारणीय तरीके से पकड़ी जा रही हैं।** इस वजह से ये प्रजातियां अत्यधिक असुरक्षित हो गई हैं।
- **वैश्विक स्तर पर, 64.5% मत्स्य भंडारों का संधारणीय** स्तरों पर दोहन किया जा रहा है, जबकि **35.5% मत्स्य भंडार अति मत्स्यन** के शिकार हैं।
- अत्यधिक प्रवासी शार्क मत्स्य भंडारों में से आधे से अधिक को असतत माना जाता है। इनमें 23 आकलित शार्क मत्स्य भंडारों में से **43.5% का अति मत्स्यन** होता है।

मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौता तीन प्रमुख प्रतिबंध लगाता है:

- IUU मत्स्यन में शामिल जहाजों या ऑपरेटर्स के लिए सब्सिडी पर **प्रतिबंध** लगाता है।
- जब तक अति मत्स्यन किए गए (Overfished) मत्स्य भंडारों को सतत स्तर तक पुनर्स्थापित करने के उपाय नहीं किए जाते, तब तक मछली पकड़ने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर **प्रतिबंध** लगाता है।
- तटीय देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन की निगरानी से परे मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए सब्सिडी पर **रोक** लगाता है।

IUU मत्स्यन के बारे में

IUU मत्स्यन एक व्यापक शब्दावली है, जिसमें मछली पकड़ने की कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। ये **गतिविधियां खुले समुद्र में और राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों, दोनों जगह** होती हैं।

- **अवैध मत्स्यन:** इसमें किसी देश के जलक्षेत्र में बिना अनुमति के या **राष्ट्रीय कानूनों** का उल्लंघन करके मछली पकड़ना शामिल है।
- **असूचित मत्स्यन:** मछली पकड़ने की जानकारी **राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नहीं देना** या गलत जानकारी देना, जिससे **राष्ट्रीय विनियमों का उल्लंघन** होता है।
- **अविनियमित मत्स्यन:** ऐसे जहाजों द्वारा मछली पकड़ना जो **राज्यविहीन हैं** या ऐसे देश जो **क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों** के सदस्य नहीं हैं और जो **संरक्षण नियमों का उल्लंघन** करते हैं।

अन्य सुर्खियां

यूरेशियन ऊदबिलाव

हाल ही में दक्षिण कश्मीर में यूरेशियन ऊदबिलाव की एक दुर्लभ उपस्थिति देखी गई है।

यूरेशियन ऊदबिलाव (लुट्रा-लुट्रा) के बारे में

- यह एक **अर्ध-जलीय स्तनधारी जीव** है जो **यूरेशिया और अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र** में पाया जाता है।
- **वितरण:** यह 3 महाद्वीपों (यूरोप, एशिया और अफ्रीका) में पाया जाता है।
  - भारत में, यह उत्तरी, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत में पाया जाता है।
- **विशेषताएँ**
  - इसका शरीर **पतला और लचीला** होता है, **भूरे रंग की चिकनी फर, मोटी पूंछ और छोटे पैर** होते हैं।
  - **जलीय जीवन-शैली के लिए अनुकूलन:** इसके जालीदार पैर इसे जल में तैरने की क्षमता प्रदान करते हैं; तथा जल में रहते समय यह जीव **कानों और नाक को बंद** कर सकता है।
  - इसके शरीर पर बहुत घना, छोटा फर होता है। यह फर गर्म हवा को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है जिससे ऊदबिलाव को सर्दी नहीं लगती।

- **संरक्षण स्थिति**
  - **IUCN स्थिति:** नियर थ्रेटेंड I
  - **CITES:** परिशिष्ट I

लोकपाल

लोकपाल की पूर्ण पीठ ने अपना नया आदर्श वाक्य (मोटो) अपनाया है। यह मोटो है; **"नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण" (Empower Citizens, Expose Corruption).**

लोकपाल के बारे में

- **कानूनी प्रावधान:**
  - **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत लोकपाल की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ **भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना** है।
  - इस अधिनियम के प्रावधान **भारत के प्रधान मंत्री** तथा **भारत के भीतर और भारत के बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर भी लागू** होते हैं।
- **संरचना:**
  - एक **अध्यक्ष और आठ सदस्य।**
  - **अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति के लिए** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:
    - उन्हें **संसद या राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं** होना चाहिए।
    - उन्हें किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
    - उनकी **आयु कम-से-कम 45 वर्ष** होनी चाहिए।
  - **अध्यक्ष:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ;लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं।
- **कार्यकाल:** पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो)।

खान क्वेस्ट अभ्यास (Exercise Khaan Quest)

भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी 22वें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट' में भाग लेने के लिए मंगोलिया के उलानबटोर पहुंची है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 14 से 28 जून 2025 तक किया जाएगा।

खान क्वेस्ट अभ्यास के बारे में

- **शुरुआत:** 2003 में इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी।
- पहला बहुपक्षीय खान क्वेस्ट अभ्यास साल 2006 में शुरू हुआ।
- **उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII** के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को शांति स्थापना मिशनों के लिए तैयार करना।
  - **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII में शांति के समक्ष खतरे, शांति भंग होने की स्थितियां और आक्रामक कार्रवाइयों से निपटने हेतु कार्यवाही का प्रावधान** है।

शेंगेन वीजा (Schengen Area)

नई दिल्ली में **फ्रांसीसी दूतावास का भारतीय कर्मचारी, शेंगेन वीजा के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी करता** पकड़ा गया है।

शेंगेन क्षेत्र के बारे में

- शेंगेन क्षेत्र में **कुल 29 देश** शामिल हैं। इनमें **यूरोपीय संघ (EU) के 25 सदस्य देश** तथा **4 ऐसे देश शामिल हैं जो EU के सदस्य नहीं हैं। ये 4 देश हैं; आइसलैंड, नार्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन।**
- ये देश **आपसी सहयोग को बढ़ावा** देते हैं, जिससे उन्हें वे लाभ प्राप्त होते हैं जो अकेले रहकर प्राप्त करना संभव नहीं है।
- इन देशों की सीमाओं पर **सदस्य देशों के नागरिकों की जांच नहीं** की जाती है।
- शेंगेन व्यवस्था वास्तव में **यूरोप के 3.2 करोड़ व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका** निभाती है। साथ ही यह यूरोपीय **एकल बाजार (Single Market)** की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन (IALA)

भारत ने **IALA के उपाध्यक्ष के रूप में, फ्रांस के नीस में आयोजित IALA परिषद के दूसरे सत्र में सक्रिय रूप से भाग** लिया।

IALA के बारे में

- **स्थापना:** 1957 में **IALA की स्थापना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA)** के रूप में हुई।
- **2024 में:** यह संस्था आधिकारिक तौर पर एक **गैर-सरकारी संगठन (NGO) से एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO)** में बदल गई।
- **उद्देश्य:** विश्वभर के नेविगेशन ऑथोरिटीज, विनिर्माताओं, सलाहकारों, वैज्ञानिक संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों को एक फोरम प्रदान करना ताकि वे अपने अनुभवों और उपलब्धियों का आदान-प्रदान और तुलनात्मक अध्ययन कर सकें।

भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन (BESZ)

गंगोत्री में, **भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन (BESZ)** के भीतर एक ठोस अपशिष्ट दहन करने वाली मशीन की स्थापना ने सामाजिक कार्यकर्ता समूहों को चिंतित किया है।

- ये **पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र** होते हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों के आस-पास स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किया जाता है।

भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) के बारे में

- यह गंगा नदी के सबसे प्राचीन क्षेत्र जो **गोमुख और उत्तरकाशी शहर के बीच 4179.59 वर्ग किलोमीटर में फैला** हुआ है, के संरक्षण के लिए बनाया गया है।
- **इसकी अधिसूचना 2012 में जारी** की गई थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड राज्य सरकार को **जोनल मास्टर प्लान (ZMP)** तैयार करना होगा तथा इस मास्टर प्लान को **एक निगरानी समिति** की देख-रेख में लागू किया जाना चाहिए।

रीजनिंग-बेस्ड लैंग्वेज मॉडल' (RLM)

फ्रांस की AI स्टार्टअप मिस्ट्रल ने यूरोप का पहला **'रीजनिंग-बेस्ड लैंग्वेज मॉडल'** लॉन्च किया है।

- **लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) AI** सिस्टम हैं। ये **मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने** के लिए विशाल मात्रा में टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करते हैं।

रीजनिंग-बेस्ड लैंग्वेज मॉडल के बारे में

- RLMs ने एडवांस्ड रीजनिंग तंत्र के साथ LLM का विस्तार करके **AI की समस्या-समाधान क्षमताओं** को फिर से परिभाषित किया है।
- ये मॉडल **"चेन ऑफ थॉट"** तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसमें किसी समस्या को चरण-दर-चरण **विभाजित करके हल** किया जाता है। इससे समाधान अधिक सटीक और प्रसंग-सम्मत होता है।
  - यह पारंपरिक LLMs से अलग हैं जो **मुख्य रूप से विशाल डेटासेट और कम्प्यूटेशनल शक्ति** पर निर्भर करते हैं।
- **चिंताएं:** उच्च लागत, मालिकाना प्रकृति और जटिल संरचना।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की कोई योजना नहीं है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के बारे में

- MDR वह शुल्क है जो बैंक, **व्यापारियों से रियल टाइम में पेमेंट प्रोसेस करने के बदले** लेते हैं।
  - पहले, व्यापारी कार्ड पेमेंट्स पर कुल लेन-देन मूल्य का **1% MDR शुल्क** देते थे।
  - लेकिन 2020 में, सरकार ने देश में **डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए MDR शुल्क माफ कर** दिया।

'मेजर लूनर स्टैंडस्टिल'

हाल ही में दुर्लभ **'मेजर लूनर स्टैंडस्टिल'** घटना देखी गई। यह 'स्ट्रॉबेरी मून' के साथ आकाश में एक अद्भुत चंद्र दृश्य के रूप में प्रकट हुई।

- **जून की पूर्णिमा** को **स्ट्रॉबेरी मून** कहा जाता है। यह नाम **उत्तरी अमेरिका में स्ट्रॉबेरी** की फसल के मौसम पर आधारित है।

मेजर लूनर स्टैंडस्टिल' के बारे में

- यह घटना तब घटित होती है जब **चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सापेक्ष अधिकतम झुकाव (tilt)** पर होती है।
- इससे **चंद्रमा क्षितिज पर अपने सबसे दूरस्थ बिंदुओं** पर उगता और अस्त होता है। इसके परिणामस्वरूप, उत्तरी गोलार्ध में चंद्रमा आसमान में सामान्य से कम ऊंचाई पर दिखाई देता है।
- यह एक **दुर्लभ खगोलीय घटना** है जो लगभग **हर 18.6 वर्षों में एक बार** घटित होती है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म

भारत ने यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर "गहरी आपत्तियां" व्यक्त की हैं।

CBAM के बारे में

- यह यूरोपीय संघ का एक साधन है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले **उच्च कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं (जैसे- स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट आदि) पर कर** लगाना है। यह कर इन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन की उच्च मात्रा को हतोत्साहित करके गैर-यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देगा।
  - यह यूरोपीय संघ के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को **2030 तक कम-से-कम 55% तक** कम करने के लक्ष्य वाली **"फिट फॉर 55" रणनीति** का हिस्सा है।
- **प्रवर्तन:** यह 2026 से लागू होगा, जबकि इसका ट्रांजिशनल चरण **2023 से 2025 के बीच** चलेगा।